



2026:AHC: 62661

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5495/2026

विनय साहू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: विनय कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना अतर्रा, जिला बांदा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 28 वर्ष 2026, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20 के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक के कब्जे से लगभग 3 किलो गांजा बरामद होने का अभिकथन है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस ने आवेदक के कब्जे से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस की बरामदगी झूठी दिखाई है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त जयप्रकाश गिरि उर्फ चंगा, राज शिवहरे, आदित्य सिंह उर्फ सूरज, रुद्र त्रिपाठी और हरबंश दीक्षित को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 6231 वर्ष 2026, 6383 वर्ष 2026, 6572 वर्ष 2026, 4944 वर्ष 2026 और 5478 वर्ष 2026 में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 12.03.2026, 20.02.2026, 09.03.2026, 25.02.2026 और 16.02.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, आवेदक भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसके झूठे फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान वाद में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूर्णतया निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने और उसे पीड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में झूठा फँसाया गया है। आवेदक 21.01.2026 से कारागार में है। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक के खाते में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5- वाद के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरण और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और भरी जेलों और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों के भारी लंबन के साथ-साथ **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश पर विचार करते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6- पूर्वोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **विनय साहू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(ii) आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8- बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

9- यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10- यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश भेजेगा।

11- कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति, संदर्भ में : स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, 31.01.2023 को निर्णीत और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ई-मेल या ई-प्रीजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

25 मार्च, 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)